

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाइन (Online) आवेदन प्राप्ति की
 अंतिम तिथि—11.05.2023

विज्ञापन संख्या—09 / 2023

**झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, (निश्चेतना एवं
 बायोकेमेस्ट्री विभाग) के पद पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा।**

झारखण्ड राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक—3869 दिनांक—24.06.2022, द्वारा स्वारूप्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक—252(9) दिनांक—14.06.2022 तथा अधिसूचना ज्ञापांक—552(9) दिनांक—09.12.2021 एवं 421(9) दिनांक—22.11.2018 से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, निश्चेतना/बायोकेमेस्ट्री विभाग के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी झारखण्ड स्वारूप्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी से विहित—प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश झारखण्ड लोक सेवा आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. कोटिवार अधियाचित रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	विभाग का नाम	कोटि			
		SC	ST	BC-I	Total Post
1.	निश्चेतना (Anaesthesia)	01	04	01	06
2.	बायोकेमेस्ट्री (Biochemistry)	01	--	01	02

3. वेतनमान — रु 15600—39100 ग्रेड वेतन रु 0 – 6600,
 Pay Matrix Level-11 (As per 7th pay Commission)

4. पद — स्थायी
 5. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष

6. (i) अनिवार्य अर्हता:- Medical Council of India, Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 (AMENDED UPTO 8TH JUNE, 2017) एवं चिकित्सा संस्थानों अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं (संशोधन) नियमावली, 2018 द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव निम्नवत् हैः—

Post	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
Assistant Professor	A Post Graduate Qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per the TEQ regulations.	3 Years Junior Resident in a recognized/permitted Medical College in the concerned subject and One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted Medical College. In Case of DNB candidate equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I, in addition to 3 year teaching experience in the subject as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor/or work experience gained during DNB training, one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted Medical College. Note:- Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree (MD/MS/DNB) and is below 40 years of age.

नोट:- एमडी/एमएस के साथ डीएनबी (सामान्य विशेषज्ञताएं) और डीएम/एम.सीएच. के साथ डीएनबी (अति विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता की समतुल्यता का निर्धारण निम्नवत् होगा :—

- (क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने किसी ऐसे संस्थान में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो अब किसी विशेष विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है, की डीएनबी शैक्षिक योग्यताओं को केवल उसी विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं के समतुल्य माना जाएगा।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने विभिन्न स्नातकोत्तर/अतिविशेषज्ञता अध्यापन कार्यक्रमों में शामिल, कम से कम 500 बिस्तरों वाले बहु विशेषज्ञता अध्यापन अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बशर्ते कि तीन डीएनबी पर्यवेक्षकों (अध्यापकों) में से एक अपनी पिछली नियुक्ति में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में अर्हता प्राप्त करता/करती है और बाकी दो में एक को अध्यापन बिस्तर की निम्नलिखित शर्तों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।
- स्नातकोत्तर सामान्य विशेषज्ञताएँ:30 बिस्तर प्रति इकाई } 50 प्रतिशत बिस्तर, अध्यापन
स्नातकोत्तर अति विशेषज्ञताएँ :20 बिस्तर प्रति इकाई } बिस्तर होने चाहिए।
- ऐसे किसी शैक्षिक योग्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता माना जाएगा।
- (ग) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/टयूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या अन्य स्थानों/संस्थानों (100 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों) में सामान्य विशेषज्ञताओं और अति विशेषज्ञताओं दोनों में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में एक वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अतिरिक्त एक वर्ष के लिए कार्य करेंगे।
- (घ) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/टयूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या उप खंडों (क) से (ग) में कवर न किए गए किसी संस्थान में सामान्य विशेषज्ञता और अति विशेषज्ञताओं दोनों पाठ्यक्रम में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान या डीएनबी शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट अनुसंधान एसोसिएट (सीएसआईआर) के रूप में दो अतिरिक्त वर्ष के लिए कार्य करेंगे।
- (iii) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची—। में, दिनांक—05.06.2017 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया गया है :—
- "कुल आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव, रखने वाले, किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें कम से कम चार वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया हो, अनुक्रमित जरनलों में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में हो, अति विशेषज्ञताओं के मामले में केवल उन्हीं अध्यापकों का स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो जिनमें से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया, सहायक प्रोफेसर के रूप में हो।"

7. उम्र गणना की तिथि:—01.08.2022

- (a) न्यूनतम उम्र सीमा :— 30 वर्ष।
- (b) अधिकतम उम्र सीमा :— झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के आलोक में झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा। इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

8. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :- झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।

(i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मुल्यांकन किया जायेगा।

(a) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग:-	70% से उपर 5	65% से उपर 4	60% से उपर 3	55% से उपर 2	50% से उपर 1
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

नोट:- एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(b) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय—समूह में प्राप्तांक:-	70% से उपर 5	65% से उपर 4	60% से उपर 3	55% से उपर 2	50% से उपर 1
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

नोट:- आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय—समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जायेगा।

- (c) एम०डी० / एम०एस० अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता:- 10 अंक
- (d) उसी स्पेशलिटी में पी०एच०डी०,डी०एस०, एम०सी०एच०:- 10 अंक
- (e) साक्षात्कार:- 06 अंक
- (f) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) 10 अंक

नोट:- ऐसे एम०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

(ii) तीन विश्वविद्यालय एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(iii) निम्न वर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी के निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

- a. अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1 (एक) अंक।
- b. अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसियशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।

(iv) न्यूनतम अर्हतांक :- सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. आरक्षण का लाभ :— आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

- (क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।
- (ख) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :—

- i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—4650, दिनांक—02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 - ii. आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - iii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।
- (घ) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ङ.) जाति प्रमाण—पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:—

(a) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1361, दिनांक—03.03.2022 एवं पत्रांक—1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/ अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:— केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) अत्यंत पिछङ्गा वर्ग-I एवं पिछङ्गा वर्ग-II :—झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछङ्गा वर्ग-I एवं पिछङ्गा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 के अधीन प्रपत्र—XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:—

- (i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form- XI Required अंकित हो तो Form- XI (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

10. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

उपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क :-

- (a) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग / चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (b) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹0-600 (छ: सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (c) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क ₹0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क ₹0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (d) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :—

- (a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (b) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (c) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रूपीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (d) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (e) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (f) जन्म तिथि—आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (g) ऑनलाईन आवेदन में अंकित e-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number, e-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number, e-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
- (h) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (i) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (j) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (k) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (l) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण—पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (m) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली—भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (n) ऑनलाईन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to apply” (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.—+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

- (o) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:-
 1. +919431301636 2. +919431301419
- (p) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (q) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाइन आवेदन में प्रतिष्ठि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।
- (r) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (s) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय रुक्षित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (t) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कंडिका-12(u) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्राप्ति पठनीय प्रति आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर "विज्ञापन संख्या-09/2023" तथा "पद का नाम- सहायक प्राध्यापक, निश्चेतना/बायोकेमेस्ट्री विभाग (बैकलॉग)" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- (u) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्राप्ति प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
 - (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
 - (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एम०बी०बी०एस० डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
 - (iv) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में रनातकोत्तर डिग्री यथा— एम०डी०, एम०एस०, डी०एन०बी० अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री का प्रमाण पत्र, अंकपत्र एवं उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एन०बी० का प्रमाण पत्र।
 - (v) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त (Recognized/Permitted) चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषयों में 03 (तीन) वर्षों का जूनियर रेजिडेन्ट एवं 01 (एक) वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट संबंधी प्रमाण पत्र।
 - (vi) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो नियंत्री पदाधिकारी स्तर से निर्गत हो।
 - (vii) जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में संबंधित विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ जर्नल्स की प्रति।
 - (viii) जाति/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
 - (ix) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
 - (x) अनापत्ति प्रमाण पत्र।

13. अंतिम तिथि :—

- (a) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से दिनांक—10.04.2023 से दिनांक—11.05.2023 अपराह्न—11:45 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।
- (b) दिनांक—11.05.2023 के बाद दिनांक—13.05.2023 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (c) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्राप्ति हाथों—हाथ एवं निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक—28.05.2023 अपराह्न—5:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कर्तव्य जिम्मेवार नहीं होगा।

हृ० /—
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।